

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक : प.1(1) वसूली/89/2015-16/11

दिनांक : 15/4/2015

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा लीज राशि पर दण्डनीय छूट के आदेश क्रमांक 906 दिनांक 25.03.2015 के सम्बन्ध में विभिन्न कार्यालयों द्वारा जानकारी हेतु पत्र प्राप्त हुये हैं। जिनके सम्बन्ध में विदित रहे कि उक्त कार्यालय आदेश राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप ही जारी किया गया है। "यह छूट दिनांक 31.05.2015 तक राशि जमा कराने पर ही उपलब्ध होगी।" दिनांक 31.05.2015 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 25.03.2015 से 29.05.2015 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के लीज मांग पत्र दिनांक 29.05.2015 तक जारी किये जावेंगे एवं दिनांक 30.05.2015 तक राशि संग्रहण केन्द्र/बैंक में निर्धारित दैनिक कार्य अवधि में लीज की राशि जमा कराने पर ही छूट का लाभ देय होगा।

यह आदेश पूर्व प्रसारित कार्यालय आदेश क्रमांक 906 दिनांक 25.03.2015 के क्रम में जारी किया जाता है एवं आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


(डी.सी. चौधरी)
वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि :-

1. निजि सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजि सचिव-सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजि सचिव-मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल,
4. निजि सचिव-वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-
6. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-
7. राशि संग्रहण केन्द्र संख्या राजस्थान आवासन मण्डल,
8. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को सूचनार्थ एवं दो प्रथम श्रेणी के अखबार में विज्ञापित हेतु।
9. संयुक्त निदेशक (एस.ए.), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि मण्डल की वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
10. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (वसूली)

15/4/15